(भाग–1)

क्रम संख्या - 10/ 66

(प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला)

या प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 04-February-2010

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम कृष्णवीर सिंह वल्दिया अध्यक्ष ट्रस्ट

प्रस्तुत[illegible]कार TRUST (MOVABLE) / ट्रस्ट डीड

लेख का [illegible]धनराशि 0.00 / 0.00 / 0.00

प्रतिफल की

1	रजिस्ट्रीकरण शुल्क	200.00
2	प्रतिलिपिकरण शुल्क	10.00
3	इलैक्ट्रानिक शुल्क	240.00
4	निरीक्षण या तलाश शुल्क	0.00
5	मुख्तारनामा के अभिप्रमाणीकरण के लिए शुल्क	0.00
6	कमीशन शुल्क	0.00
7	नकल शुल्क	0.00
8	विविध	0.00
9	यात्रिक भत्ता	0.00
10	कम रजिस्ट्रीकरण शुल्क	0.00
11	योग	450.0

शुल्क वसूल करने की दिनांक 04-February-2010

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र वापस करने के लिए 04-February-2010

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर उपनिबंधक, सितारगंज

सब रजिस्ट्रार
सितारगंज, ऊधमसिंहनगर

12/2010 IV

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

C 093038





न्यास/ट्रस्ट विलेख "शिवालिक एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट"

आज दिनांक 4-2-2010... को यह ट्रस्ट/न्यास विलेख हम कि कृष्णवीर सिंह वल्दिया पुत्र श्री उम्मेद सिंह वल्दिया, निवासी–पूर्णागिरि मार्बल, अमाऊं, भास्करानन्द जोशी पुत्र श्री गणेशदत्त जोशी, निवासी–साल बोझी नं0–3, न्योरबाठगू, खटीमा, भुवन चन्द्र पाठक पुत्र स्व0 श्री त्रिलोचन पाठक, निवासी–खतालसण्डा खाम, सतीश चन्द्र पाठक पुत्र स्व0 श्री नारायणदत्त पाठक, निवासी–झनकइया, तहसील–खटीमा, जिला– ऊधम सिंह नगर के निवासीगण हैं, समाज की सेवा करने के उद्देश्य से विशेषकर शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, हायर शिक्षा, सेकेन्ड्री शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, इंजीनियरिंग एवं अन्य टैक्नीकल शिक्षा, प्रबन्धन शिक्षा को संचालित करने व उसका प्रचार–प्रसार करने जिससे कि समाज के दबे–कुचले वर्ग को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से "शिवालिक एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट" का गठन करते हैं। ये सभी सदस्य आगे चलकर मुख्य ट्रस्टी/न्यासी कहलायेंगे।





यह कि हम न्यासकर्ताओं/ट्रस्टियों ने 10,000/– रू0 (दस हजार रूपये) से ट्रस्ट/न्यास गठित करने का निश्चय किया है। यह धनराशि न्यास फण्ड है। जिसके सदस्य, पद व नियमावली निम्न प्रकार होगी–

2573

12 JAN 2010

सत्यापित/उपलब्ध प्रतिलिपि

18/1/2016

शिव शंकर भाटिया
स्टाम्प विक्रेता
लाइसेंस नं० - 101
तहसील खटीमा (ऊ०सि०नगर)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL C 093039

1- सदस्य-

क्र.सं.	नाम/पिता का नाम/पता	पद
1-	श्री कृष्णवीर सिंह वल्दिया पुत्र श्री उमेद सिंह वल्दिया निवासी-पूर्णागिरि मार्बल, अमाऊं, खटीमा	अध्यक्ष
2-	श्री भुवन चन्द्र पाठक पुत्र स्व0 श्री त्रिलोचन पाठक निवासी-खेतलसण्डा खाम, खटीमा	उपाध्यक्ष
3-	श्री भास्करानन्द जोशी पुत्र श्री गणेशदत्त जोशी निवासी-साल बोझी नं0-3, नौगवांठग्गू, खटीमा	सचिव
4-	श्री सतीश चन्द्र पाठक पुत्र स्व0 श्री नारायणदत्त पाठक निवासी-ग्राम-झनकइया, तह0-खटीमा	कोषाध्यक्ष

2- ट्रस्ट/न्यास का कार्यालय-

ट्रस्ट/न्यास का कार्यालय, न्यास द्वारा संचालित कार्यस्थल पर ही होगा।
जो ग्राम दमगड़ा तहसील खटीमा जिला ऊधम सिंह नगर में होगा।

3- ट्रस्ट का उद्देश्य-

अ) प्राथमिक, उच्च व उच्चतर शिक्षा के विकास हेतु विद्यालय खोलना, संचालन व शिक्षा का संरक्षण आदि कार्य करना।

ब) कमजोर विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता देना व अन्य सभी प्रकार की सहायता देना।

स) शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु धन दान में लेना व सम्पत्ति क्रय करना।

2574

प्रारम्भिक एनरोलमेन्ट एण्ड चेरीटेबल ट्रस्ट

18/1/2010

12 JAN 2010

सब-रजिस्ट्रार/उपजिलाधिकारी

ट्रस्ट डीड

प्रलेख सं 12 बही 4

ट्रस्ट डीड

रजिस्ट्रेशन शुल्क	प्रतिलिपि शुल्क	इलेक्ट्रानिक प्रोसेसिंग शुल्क	कुल योग	शब्द लगभग
200.00	10.00	240.00	450.00	1000

श्री / श्रीमती / कुमारी कृष्णवीर सिंह वल्दिया

पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री उम्मेद सिंह वल्दिया

पेशा अन्य

निवासी अमाऊ खटीमा अध्यक्ष शिवा.एजु.चेरि.ट्रस्ट

शिव शंकर विद्यालय स्टाम्प नं० - 101 बहेरी खटीमा (ऊ०सि०नगर)

ने आज दिनांक 04/02/2010 समय 1:24 pm

को कार्यालय उपनिबन्धक सितारगंज

मे प्रस्तुत किया

4.2.10

उपनिबन्धक सितारगंज

कृष्णवीर सिंह वल्दिया

इस लेख पत्र का निष्पादन विलेख मे लिखित तथ्यों को सुन व समझकर श्री कृष्णवीर सिंह वल्दिया s/o उम्मेद सिंह वल्दिया , अमाऊ खटीमा अध्यक्ष शिवा.एजु.चेरि.ट्रस्ट/ भाष्करा नन्द जोशी s/o गणेश दत्त जोशी , नौगवाठग्गू खटीमा / भुवन चन्द्र पाठक s/o त्रिलोचन पाठक , खेतल सन्डाखाम तह. खटीमा/ सतीश चन्द्र पाठक s/o नारायण दत्त पाठक , झनकईया तह. खटीमा/ ने स्वीकार किया।

जिनकी पहचान

श्री अनूप उप्रेती

पुत्र श्री जी. के. उप्रेती

पेशा अन्य

निवासी खटीमा तह. खटीमा

व श्री धीरेन्द्र मोहन गौड़

पुत्र श्री हरीनन्दन प्रसाद

पेशा अन्य

निवासी खटीमा तह.खटीमा

ने की।

4.2.10

उपनिबन्धक सितारगंज



उत्तरांचल UTTARANCHAL

C 093040

द) साधन होने पर चिकित्सा शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा व अन्य प्रकार की टैक्नीकल शिक्षा एवं प्रबन्धकीय शिक्षा एवं अन्य प्रकार की शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, उनका प्रबन्ध, संचालन एवं नियंत्रण करना।

ध) समाजोपयोगी कार्य करना, पर्यावरण, गरीबी, बाल विकास, चिकित्सा, सामाजिक क्षेत्र में पिछड़े वर्गों के विकास के लिए शासन के सहयोग से कार्य करना।

4- <u>ट्रस्ट/न्यास का कार्यक्षेत्र-</u> समस्त उत्तराखण्ड

नियमावली

"शिवालिक एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट"

1- <u>ट्रस्ट/न्यास की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग निम्न हैं-</u>

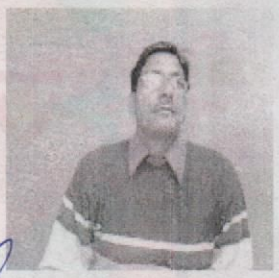
क) **आजीवन सदस्य-** आजीवन सदस्य न्यास के संस्थापक सदस्य हैं। संस्थापक सदस्यों के रक्त सम्बन्धी (पुत्र/पौत्र) ही आजीवन सदस्य भविष्य में होंगे।

ख) **विशिष्ट सदस्य-** न्यास के हित में कार्य करने वाले व्यक्ति जो दो वर्ष के लिए ट्रस्टियों/न्यासियों की सहमति से नियुक्त किये जायेंगे, विशिष्ट सदस्य कहलायेंगे। दो वर्ष के पश्चात इनकी सदस्यता स्वयं ही समाप्त हो जायेगी।

2575

Book No. 4 Registration Year 2010 Registration No 12

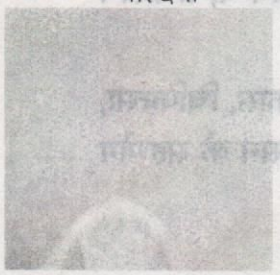







कृष्णवीर सिंह वल्दिया | भाष्करा नन्द जोशी | भुवन चन्द्र पाठक | सतीश चन्द्र पाठक








अनूप उप्रेती | धीरेन्द्र मोहन गौड़

उपरोक्त साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं । सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये है ।

उपनिबन्धक सितारगंज

4.2.16



उत्तरांचल UTTARANCHAL C 093041

2- **सदस्यता की समाप्ति-**

सामान्यतः ट्रस्ट/न्यास के सदस्य आजीवन सदस्य रहेंगे तथापि निम्न परिस्थितियों में सदस्यता समाप्त हो जायेगी-

क) मृत्यु होने पर
ख) पागल होने पर
ग) न्यायालय द्वारा गंभीर अपराध के लिए दण्डित होने पर
घ) ट्रस्ट/न्यास के हितों के विपरीत कार्य करने पर
ङ) त्याग पत्र देना

3- **ट्रस्ट/न्यास के अंग-**

क) साधारण अंग ख) कार्यकारिणी

क) साधारण अंग-

ट्रस्ट/न्यास के सभी सदस्यों के सम्मिलित रूप को साधारण अंग कहा जायेगा। जिसमें आजीवन सदस्यों व विशिष्ट सदस्यों के एकीकृत रूप को साधारण अंग के तौर पर जाना जा सकेगा। साधारण सभा के सदस्यों की संख्या मुख्य ट्रस्टी सदस्यों को मिलाकर किसी भी स्थिति में 10 से ऊपर नहीं होगी। साधारण अंग मुख्य ट्रस्टी सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष से अधिक नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में मुख्य ट्रस्टी सदस्य अन्य सदस्यों को एकराय से हटा भी सकते हैं।

25.6

18/1/2016

शिव शंकर भाटिया
स्टाम्प विक्रेता
लाइसेन्स नं० - 101
तहसील खटीमा (ऊ०सि०नगर)



उत्तरांचल UTTARANCHAL C 093042

अ) बैठकें– सामान्य बैठक वर्ष में दो बार तथा विशेष बैठक आवश्यकता होने पर कभी भी बुलाई जा सकती है।

ब) सूचना अवधि– सामान्य बैठक हेतु 5 दिन पूर्व आवश्यक बैठक हेतु अल्प सूचना पर बुलाई जा सकती है।

स) साधारण अंग के अधिकार एवं कर्तव्य– साधारण सभा द्वारा ट्रस्ट/न्यास कार्यकारिणी के समक्ष सुझाव एवं प्रस्ताव न्यास की नीतियों के विषय पर रखे जायेंगे। तथा रिक्त पदों पर मनोनयन की सलाह दी जायेगी। साधारण सभा का कार्यकाल दो वर्ष का ही होगा।

ख) ट्रस्ट/न्यास की कार्यकारिणी–

अ) गठन– ट्रस्ट/न्यास की कार्यकारिणी का गठन आजीवन ट्रस्टियों के मध्य से ही होगा और एक पद पर एक ट्रस्टी दो वर्ष ही कार्य करेगा, उसके पश्चात निम्न प्रकार से परिवर्तन होते रहेंगे–अध्यक्ष कोषाध्यक्ष का पद, उपाध्यक्ष अध्यक्ष का पद, सचिव उपाध्यक्ष का पद और कोषाध्यक्ष सचिव का पद ग्रहण करते रहेंगे। ट्रस्ट के पदाधिकारी हर दो वर्ष में आरोही क्रम में स्वयं ही नया पदभार ग्रहण करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार के चयन की आवश्यकता नहीं होगी। स्पष्ट करना है कि इस परिवर्तन हेतु किसी प्रकार के मत विभाजन या मतदान भी नहीं होगा।

2572

श्रीमान् [illegible] चौधरी देवलहार

[illegible]

18/12/2016

शिव शंकर भाटिया
स्टाम्प विक्रेता
लाइसेन्स नं० – 101
तहसील खटीमा (ऊ०सि०नगर)



उत्तरांचल UTTARANCHAL C 093043

ब) **बैठकें**– ट्रस्ट/न्यास की कार्यकारिणी वर्ष में कम से कम दो एवं आवश्यकता होने पर कभी भी बैठक बुलाई जा सकती है।

स) **सूचना अवधि**– सामान्य बैठक हेतु चार दिन पूर्व एवं विशेष बैठक हेतु एक दिन पूर्व या अल्प सूचना पर जो 24 घंटे से कम हो सकती है, बैठक बुलाई जा सकती है किन्तु कारण दिया जाना आवश्यक है।

द) **गणपूर्ति**– कार्यकारिणी के कोरम हेतु मुख्य आजीवन सदस्यों/ट्रस्टी में से तीन सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है।

4– **रिक्त स्थान की पूर्ति**–

कार्यकारिणी के किसी भी पदाधिकारी का पद रिक्त होने पर कार्यकारिणी ही नये पदाधिकारी सदस्यों की नियुक्ति करेगी किन्तु यदि पद रिक्त करने वाले सदस्यों ने अपने स्थान पर किसी को उत्तराधिकारी घोषित किया है तो उसके स्थान पर वह ट्रस्ट में स्वमेव सदस्य होगा। यदि कोई सदस्य त्यागपत्र देकर जाता है तो उसके बाद नये सदस्य का चयन शेष पदाधिकारियों की आम सहमति से होगा।

5– **कार्यकारिणी पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य**–

क) **अध्यक्ष**– ट्रस्ट/न्यास की बैठकों की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट/न्यास की चल–अचल सम्पत्ति की देखभाल करना एवं देखभाल हेतु

2578

12 JAN 2010

सब-रजिस्ट्रार/उपजिलाधिकारी

18/1/2010

शिव शंकर भाटिया
स्टाम्प विक्रेता
लाइसेन्स नं० – 101
तहसील खटीमा (ऊ०सि०नगर)



उत्तरांचल UTTARANCHAL C 093302

आवश्यकता पड़ने पर कमेटी गठित करना/कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु बैठक बुलाना, कर्मचारियों को मुक्त करना, दान-अनुदान स्वीकार करना, ट्रस्ट/न्यास के द्वारा एवं ट्रस्ट/न्यास के खिलाफ होने वाली किसी भी विधिक या अन्य कार्यवाहियों के संचालन हेतु बैठकों की अध्यक्षता करना एवं कार्यकारिणी के बहुमत से उस पर अन्य व्यक्ति को अधिकृत करना।

ख) **उपाध्यक्ष**- अध्यक्ष की अनुपस्थित में बैठकों की अध्यक्षता करना व कार्यकारिणी के बहुमत से सभी कार्य करना।

ग) **सचिव**- ट्रस्ट/न्यास की कार्यकारिणी की बैठकों की कार्यवाही लिखना, आगामी बैठक में पिछली कार्यवाही की पुष्टि करवाना, वार्षिक बजट बनाना, ट्रस्ट/न्यास की ओर से पत्राचार करना एवं अध्यक्ष की अनुमति से अन्य आवश्यक कार्य करना।

घ) **कोषाध्यक्ष**- ट्रस्ट/न्यास के कोष का रख-रखाव करना, आय-व्यय संबंधी समस्त प्रपत्र तैयार करना, ट्रस्ट/न्यास का चार्टर्डट एकाउंटेंट से ऑडिट करवाना, उसे सचिव के सहयोग से कार्यकारिणी के समक्ष पेश करना एवं ट्रस्ट के खाते का संचालन करना।

6- **ट्रस्ट/न्यास का कोष-**

ट्रस्ट/न्यास का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में खोला

उपकोषागार खटीमा
कोड सं० 7508
16 JAN 2010
स०ले०कैश/उपकोषाधिकारी

स्टाम्प संख्या 8712 मूल्य 100/- दिनांक 18/1/10
नाम शिवानन्द सुयाल पुत्र श्री देवल दत्त
पिता/पति का नाम
पता

18/1/10
स्टाम्प विक्रेता
खटीमा (ऊधमसिंहनगर)



उत्तरांचल UTTARANCHAL C 093303

जायेगा। खाते के धन का आदान-प्रदान कोषाध्यक्ष/सचिव/अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किन्हीं तीन के हस्ताक्षरों से निकाला जा सकेगा।

7- <u>ट्रस्ट/न्यास के नियमों व विनियमों में संशोधन-</u>

ट्रस्ट/न्यास के नियमों व विनियमों में संशोधन दो तिहाई बहुमत से किया जा सकता है। जिस हेतु ट्रस्ट/न्यास कार्यकारिणी द्वारा अलग से प्रस्ताव की आवश्यकता होगी।

8- <u>अतिरिक्त-</u>

क) ट्रस्ट/न्यास सामाजिक परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए अपने उद्देश्यों में परिवर्तन कर सकती है। किन्तु निजी लाभ के लिए कोई परिवर्तन नहीं करेगी।

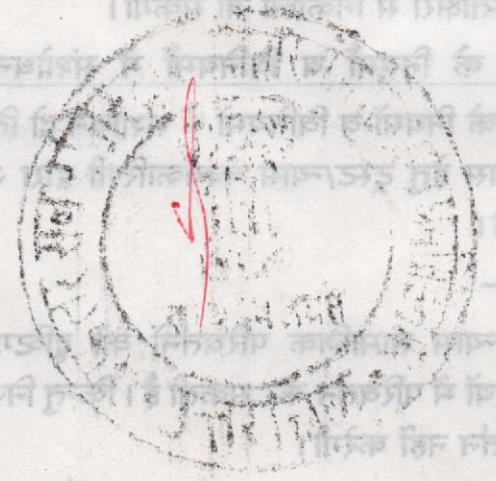
ख) राजनीति कार्यों से ट्रस्ट/न्यास दूर रहेगी। धार्मिक, सामाजिक व शैक्षिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेगी।

ग) ट्रस्ट/न्यास में कोई भी विवाद होने पर ट्रस्ट/न्यास के सदस्य पांच सदस्यों की कमेटी गठित करेगी जो कि ट्रस्ट/न्यास के किसी भी तरह के विवाद पर निर्णय दे सकेगी। पंचाट के निर्णय के पश्चात यदि कोई ट्रस्टी/न्यासी उससे सहमत नहीं होता है तो वह पंचाट के निर्णय के खिलाफ सक्षम न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

उपकोषागार रतीमा
कोड सं० 7508
16 JAN 2010
स०ले०कैश/उपकोषाधिकारी

8713/ 18/1/10
शिवालिक एक्सप्रेस 2003
चेरटेबल ट्रस्ट

18/1/10
उ० रतीमा (ऊधमसिंहनगर)





उत्तरांचल UTTARANCHAL

C 093304

घ) ट्रस्ट/न्यास अपने नाम से सम्पत्ति खरीद सकता है, उसे बैंक में बंधक रख सकता है, भूमि व भवन, पट्टे/लीज पर ले सकता है, पट्टे पर भूमि लेकर उस पर ट्रस्ट/न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निर्माण कार्य करवा सकता है, किसी संस्था या व्यक्ति के साथ ट्रस्ट/न्यास के विकास के लिए एग्रीमेंट (Contact) कर सकता है। इसके अतिरिक्त विकास कार्यों के लिए समय-समय पर बैंक व अन्य फाईनेंसियल संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं।

ङ) ट्रस्ट/न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्टी भूमि, भवन, धन, सरकार/संस्था से ऋण अनुदान का सहयोग या दान व चन्दा दान स्वरूप ले सकते हैं।

च) किसी न्यासी/ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट/न्यास में किसी कार्य का सम्पादन ट्रस्टी/न्यासी के रूप में करने पर उस कार्य में हुए अपने व्यय को लेने का अधिकार होगा।

9- <u>ट्रस्ट/न्यास का विघटन-</u>

ट्रस्ट/न्यास का विघटन भारतीय ट्रस्ट एक्ट, 1882 के प्रावधानों के अनुसार ही होगा।

उपकोषागार खटीमा
कोड सं० 7508
16 JAN 2010
सब्ले०कैश/उपकोषाधिकारी

स्टाम्प नं० 0714 मूल्य 100/- दिनांक 18/1/10
नाम शिवालीक रजूकेश्वर 2/3 चौतेवलदत्त
पिता/पति का नाम ...
पता ... वह० खटीमा

18/1/10
स्टाम्प विक्रेता
वह० खटीमा (ऊधमसिंहनगर)



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL C 093305

आज साक्षीगणों की उपस्थिति में हम सभी ट्रस्टियों/न्यासियों ने यह दस्तावेज पढ़, सुन व समझकर हस्ताक्षरित कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आवे। नोट – दस्तावेज की पृष्ठ 5 के लाइन 11 व 12 में आजीवन ट्रस्टियो के मध्य से दो शब्द पर मसकूले हैं व का० पते 2 की 12 लाइन दस लिखित हैं व ना०

दिनांक 4-2-2010

हस्ताक्षर ट्रस्टी/न्यासी

1- श्री कृष्णवीर सिंह बेल्दिया (अध्यक्ष)

3- श्री भास्करानन्द जोशी (सचिव)

2- श्री भुवन चन्द्र पाठक (उपाध्यक्ष)

4- श्री सतीश चन्द्र पाठक (कोषाध्यक्ष)

हस्ताक्षर गवाहान

1- अनूप उपेती ओ०क्टी जी० के उपेती निज रवीमा तह रवीमा

2- धीरेन्द्र मोहन गौड़ ओ०क्टी घासीनन्द प्रसाद निज रवीमा तह० रवीमा

पूरन सिंह पूर्तोल
दस्तावेज लेखक
सितारगंज जि० नं० 10